

परिषद के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में
दिनांक 24-10-77 एवं 4-11-77 को प्रातः 10-30 बजे
पुनः ही 20वाँ आवास एवं विकास परिषद को वर्ष
1977 को प्रथम बैठक का कार्यवृत्त ।

105

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

(1)	श्री बी०जे० श्रीदायजी	अध्यक्ष	अध्यक्ष
(2)	श्री ए०पी० सिंह	आवास आयुक्त	सदस्य
(3)	श्री त्रिभुवन नारायण सिंह		सदस्य
(4)	श्री मोहर सिंह	उप सचिव (स्वायत्त शासन सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
(5)	श्री जे०पी० दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(6)	श्री एन०बी०लाल	प्रशासक, नगर महा- पालिका, लखनऊ	सदस्य

वित्त विभाग के प्रतिनिधि श्री अरविन्द वर्मा, विशेष वित्त सचिव दिनांक 24-10-77
को तथा श्री राम मणि गण्डेय, उप सचिव वित्त विभाग दिनांक 4-11-77 को उपस्थित थे ।

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार विमर्श के परवात् निम्नलिखित निर्णय मद संख्या 1 से
16 तक पर दिनांक 24-10-77 को बैठक में लिये गये और मद मद संख्या 17 से
29 तक पर 4-11-77 को बैठक में लिये गये ।

विषय	संख्या संख्या	निर्णय
2	3	4
परिषद को दिनांक 20 अगस्त VI / (1) / 77 1977 को हुई वर्ष 1977 पंचमी बैठक के कार्य- को पुष्टि		परिषद को दिनांक 20 अगस्त 1977 को हुई व बैठक को कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से पुष्टि करते हुये परिषद द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये :- (1) रामतीर्थ हिल्डन योजना को प्रोजेक्ट रिपोर्ट शीघ्र बनाई जाय और यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस योजना के प्रस्तावित फ्लेट्स पर जो लागत अयेगी उस पर उन्हें बेचना सम्भव होगा कि नहीं या भवनों का जो किराया निर्दिष्ट किया जायेगा उस पर वे किराये पर उठ सकें या नहीं । (2) नग्न एवं क्लेशान विभाग के लिये अतिरिक्त स्टाफ तथा सहायक निदेशक (पब्लिसिटी-कम-पब्लिक रिलेशंस) के लिये स्टाफ को खोदति का जो निर्णय परिषद को पिछले बैठक में लिया गया था उसने 6 महीने के बाद पुनः रिविज्य जाय और स्थिति परिषद को बैठक में पूर्ण विवरण सहित रखी जाय ।

को वर्ष 1977 को VI / (2) / 77
बैठक दिनांक 20 अगस्त
के कार्यवृत्त को अनुपालन
।

परिषद ने वर्ष 1977 में दिनांक 20 अगस्त को
हुई पंचम बैठक के अवलोकन किया और यह निर्देश
दिया कि परिषद को यह सचिव बनाने के बदले
आवश्यक कार्यवाही को जा रही है, कुल कार्यवाही
पूर्ण विवरण और प्रगति स्पष्ट रूप से परिषद के
समक्ष रखी जाय ।

[Signature]

निम्नलिखित मदों के संबंध में परिषद ने
के सामने अंकित निर्देश दिये :

कृ०प०उ०

(क) V / (3) / 77 :

परिषद को बहुवर्षीय इमारती के निर्माण हेतु अपनी खुद का expertise develop करना चाहिये तथा इसके लिये आवश्यक कार्यवाही को जाय ।

(ख) V / (4) / 77 :

रूण एवम् क्लेशन विभाग के लिये अतिरिक्त स्टाफ को स्वीकृति के संबंध में ।

स्थिति के 6 महीने के बाद रिविज्यू करके उसे परिषद के समक्ष पूर्ण वितरण सहित रखा जाय और रूण तथा क्लेशन विभाग को संचालन से चलाने के लिये सुझाव भी परिषद के समक्ष रखा जाय ।

(ग) V / (5) / 77 :

सहायक निदेशक (पब्लिसिटी काम-पब्लिक रिलेशन) के लिये स्टाफ को स्वीकृति के संबंध में ।

उपमिति के निर्णय पर जो कार्यवाही हो रही है उसे 6 महीने के बाद रिविज्यू करके स्थिति परिषद को अगले बैठक में प्रस्तुत की जाय ।

(घ) V / (10) / 77 :

सिखंदारा गृहस्थान एवं सहक योजना को आपत्तियों पर नियोजन समिति के निर्णय पर अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन करते हुये परिषद ने यह निर्देश दिये कि गार्डह लाइन तुरन्त बनाई जाय और उसे न्याय विभाग से वेट (Vet) करा कर परिषद को अगले बैठक में अनुमोदनार्थ रखा जाय ताकि भविष्य में आपत्तियों को सुनवाई उचित प्रकार से की जा सके ।

कार्यवृत्त को अनुपालन रिपोर्ट के संक्षेप में सामान्य निर्देश दिया गया कि पिछले चार बैठकों के पारित मसौदों को सचो जिन पर कार्यवाही शुरू है, उनका विस्तृत वितरण परिषद को अगली बैठक में रखा जाय और यह भी इंगित किया जाय कि उनके अनुपालन में क्या दिक्कतें आ रही हैं ।

एवं विकास परिषद में VI / (3) / 77
शक्ति पर आये अथवा
व्यक्ति संबंधी भारतो से
अधिकारियों/कर्मचारियों
लिये सुविधा दिया जाना ।

वित्त विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राज्य विद्युत परिषद जल निगम, निर्माण निगम में दी जा रही चैकेटिक सुविधाओं को जानकरी प्राप्त कर ली जाय और उनको परोक्ष करके पूर्ण वितरण उनके नियमों सहित परिषद को अगली बैठक में रखा जाय ।

आवास एवं विकास परिषद VI / (4) / 77
पार दि ग्रान्ट आफ हाउस
सहान्जित हु दि इमारत
परिषद, 1977

वित्त विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से परिषद ने यह निर्णय लिया कि यह विनियम वित्त (आय व्यय) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या वी०-3-1924/वस-1976 दिनांक 1 दिसम्बर, 1976 में दिये गये त के अनुसार बनाये जायें और जहाँ जहाँ उनमें शासन के आदेशों से विभिन्नता को गयी है, उसे इंगित किया जाय । विनियम का आलेख परिषद को अगली बैठक में रखा जाय ।

परिषद ने यह भी निर्देश दिया कि सभी नियमों का हिन्दी स्थान्तर तैयार होना चाहिये ओ इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही तुरन्त आरम्भ कर जाय ।

आर एण्डो भूमि विकास VI / (5) / 77
गोरखपुर (शेड्यूल 40-80
n 25-81) में समाविष्ट
ह मिल्स दुहावाट गोरखपुर
1 246 व 247 को अर्जन
हये जाने के संबंध में ।

परिषद ने मौके मआयना को रिपोर्ट के परोक्षण के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि प्रस्तावित भूखण्ड को अर्जन से मुक्त करना सम्भव नहीं है और शासन को स्तदनुसार सूचित कर दिया जाय ।

3 मेट्रो योजना के अन्तर्गत VI/(6)/77
1 विभाग को 4 एकड़
त भूमि का दिया जाना ।

न रोड पर भूमि विकास XI/(7)/77
स्थान योजना 18-27 एकड़
11-33
को आपत्तियों पर नियोजन
का निर्णय ।

शुभ आवास संघ VI(8)/77 ✓
₹ 15-00 लाख का

मुकदमा पर कार्यरत जेष्ठ VI/(9)/77
धनराशि सर्व जेष्ठ लेखाधिकारी
पर हस्ताक्षर करने के अधिकार
संबंध में ।

3 गोलनाओं में विदेशी मुद्रा VI/(10)/77
के लिये भवन/भूखण्ड को

1 स्वीकृत गाजोवर बस्तौली VI/(11)/77
0-1) योजना (राम सागर मिश्र
को स्वीकृत हड़को योजना
1 प्रदान करने के संबंध में ।

1 कृष्ण से बनने वाले VI/(12)/77
संबंध में ।

परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्ताव
को स्वीकृत करने हेतु सर्वसम्मति से यह निर्णय
लिया गया कि इन संबंध में भविष्य में लिये
परिषद द्वारा नीति निर्धारित का लो जय कि
किन शर्तों, प्रतिबंधों के अधीन विकसित भूखण्ड
अन्य विभागों को दिये जायें ।

परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित
निर्देश दिये :-

- 1- उपर्युक्त भूमि पर जो पेड़ है, उनको आयु क्या
है और वे बाग के साथ में लगाये गये हैं या
नहीं है । इस परनादेसकत्रित करके और
नगरपालिका कर्मियों को आपत्ति को दृष्टि में
रखकर एक टिपपणो तैयार करके परिषद को
आगले बैठक में रखी जाय ।
- 2- इस बात पर भी विचार करके परिषद को
सूचित किया जाय कि कृषिक्षेत्र जैसे स्थान में
जहाँ दर्शनार्थियों को हो संख्या अधिक है तो
योजनाओं को एक साथ चलाने का जोरित्व है
या नहीं ।

परिषद द्वारा सर्वसम्मति से ₹ 15 लाख का
कृष्ण आवास संघ को 9-1/2% वार्षिक ब्याज को दर
पर देने की स्वीकृति दी गयी संघ द्वारा जुलाई
77 में लिये गये रूप के प्रतिदान के लिये आवेदन
2 माह के समय को स्वीकृति देते हुये यह भी
निर्णय लिया गया कि पिछले अवशेष रूप पर भी
9-1/2% ब्याज देय होगा । परिषद ने यह भी
चाहा कि आवास संघ जोवन बोमा निगम से कृष्ण
स्वीकृत कराने को कार्यवाही करें और रूप मिलते
हो सबसे पहले परिषद का रूप वापस करे ।

सर्वसम्मति से परिषद द्वारा विचार विमर्श के
पश्चात् ₹ 25,000/- से अधिक को धनराशि
के लेखों पर उप आवास आयुक्त सर्व मंचित तथा
जेष्ठ वित्त अधिकारी को हस्ताक्षर करने के लिये
अधिकृत किया गया और यह भी निर्णय लिया
गया कि उपरोक्त निर्णय इस विषय पर लिये गये
समस्त पूर्व निर्णय आदेशों को Supersede
करेगा ।

विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय
लिया गया कि श्रीमती के.एन.सिंह के अनुरोध
को स्वीकार करने से एक गलत दृष्टान्त स्थापित
हो जायेगा परन्तु श्रीमती सिंह को आवंटन में
प्राथमिकता दी जा सकती है और भवन सं. 0-
178 को उन्हें आवंटन करने के प्रश्न पर आवंटन
के समय विचार कर लिया जाय ।

परिषद द्वारा सर्वसम्मति से हड़को द्वारा स्वीकृत
गाजोवर बस्तौली (सेक्टर नं. 0-1) योजना (अब
राम सागर मिश्र नगर) सन 77 को स्वीकृत हड़को
योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी और यह निर्णय
दिया गया कि इसका विस्तृत प्राक्कलन
तैयार किया जाय ताकि हड़को को स्वीकृति सिद्ध
हो सके ।

जोवन बोमा रूप से बनने वाले भवनों को लागत
में वृद्धि के कारण प्रस्तुत प्राक्कलन पर विचार
विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से परिषद द्वारा यह
निर्णय लिया गया कि निर्माण कार्य जारी रखा
जाय किन्तु लागत में प्रस्तावित वृद्धि के संबंध में
निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया जाय :-

Handwritten signature

- (1) मूल्य वृद्धि का विस्तृत विवरण विशिष्ट कारणों सहित यदि कोई हो।
 (2) भवनों के निर्माण को लागत का मूल प्राकलन था और डिजाइन में क्या डिफरेंस हुए? यह भी निर्णय लिये गये कि निर्माण कार्य के लिये निर्धारित समय को पाकड़ती को जाय।

सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं VI/(13)/77 गृहस्थान योजना, बोलो के विकास कार्य के प्राकलन को स्वीकृति।

सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बोलो के विकास कार्य के प्राकलन को परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विचार विमर्श के पश्चात् प्रारम्भिक प्राकलन के आधार पर कार्य आरम्भ कराने को स्वीकृति देते हुये यह निर्णय लिया गया कि कार्य के विस्तृत प्राकलन शीघ्र परिषद को बैठक में प्रस्तुत किये जायें और कार्य निर्धारित समय में सम्पन्न किया जाय।

बेतिया हांग (उत्तरी) भूमि विकास VI/(14)/77 एवं गृहस्थान योजना गोरखपुर के विकास कार्य का प्राकलन।

इस योजना के विकास कार्य के प्राकलन को प्रशासनिक एवं व्यय को स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान करते हुये परिषद ने यह प्रेक्षा (Observation) किया कि भविष्य में परिषद के समक्ष ऐसे प्राकलनों को स्वीकृति के प्रस्ताव रखते समय completion schedule और विस्तृत प्राकलन (detailed estimate) और प्रारम्भिक प्राकलन (preliminary estimate) पहले से स्वीकृत है तो विस्तृत प्राकलन और प्रारम्भिक प्राकलन के अन्तर के कारणों पर प्रकाश डालते हुये पूर्ण विवरण भी रखा जाय।

बहुपुर गृहस्थान एवं सड़क योजना VI/(15)/77 सं 1, सिविल लाइन्स को धारा 28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने एवं लागू करने का प्रस्ताव।

इस योजना को परिषद के अधिनियम को धारा 28 के अन्तर्गत प्रकाशित करने तथा लागू चलाने के प्रस्ताव को परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति देते हुये यह निर्देश दिया गया कि भविष्य में ऐसे प्राकलनों को स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ प्रारम्भिक प्राकलन (अगर विस्तृत प्राकलन न बन सके) बनाने समय इस बात पर विचार करके परिषद के समक्ष टिप्पणी प्रस्तुत की जाय कि क्या विकसित भूखण्ड एवं निर्मित भवन estimated cost पर बिक पायेंगे अथवा नहीं।

परिषद द्वारा निर्मित योजनाओं VI/(16)/77 में प्रशासनिक व्यय 10% करने हेतु।

सर्वसम्मति से विचार विमर्श के पश्चात् परिषद द्वारा निर्मित योजनाओं में प्रशासनिक व्यय 8% से बढ़कर 10% करने को स्वीकृति देते हुये यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्रशासनिक व्यय सदा सम्भव कम करने का प्रयास किया जाय और साथ ही साथ मध्य प्रदेश एतम् अहमदाबाद हाउसिंग बोर्ड से प्रशासनिक व्यय का परीक्षण कर लिया जाय।

परिषद स्त्रोत से बनाये जाने वाले भवनों एवं अन्य निर्माण कार्य का अनुमोदन। VI/(17)/77

- 1- सिविल लाइन्स योजना, बोलो में मध्यम आय वर्ग के 71 एवं अल्प आय वर्ग के 80 भवन परिषद स्त्रोत से बनाने के प्रस्ताव को परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई।
- 2- नन्दनपुरा योजना सं 7 झंसी को स्वीकृति प्रदान करते हुये परिषद ने यह निर्देश दिया कि चूंकि झंसी में सोवरेज को सेवा उपलब्ध नहीं है, इसलिये इस योजना में सोवरेज का कार्य कराना उचित नहीं है। इससे व्यय में वृद्धि होगी और सोवरेज का प्रयोग भी नहीं हो पायेगा।
- 3- योजना सं 3 मेरठ में दुर्बल आय वर्ग के 80 भवनों के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी।

Handwritten signature

4- उन्नाव योजना में परिषद फंड से 6

मध्यम आय वर्ग तथा 36 अल्प वर्ग के भवन का निर्माण स्वीकार किया गया साथ ही साथ दुर्बल आय वर्ग के 98 भवनों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान करते हुये परिषद ने यह निर्देश दिया कि इसके लिये वांछित प्रोजेक्ट बनाकर हडको को तुरन्त भेज दिया जाय ।

परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि कोई आवंटो चाहे तो आवंटित भवनों में आवंटोकेषर्त पर उसे परिषद द्वारा अतिरिक्त सविधाये जैसे, पंजा, गैराज, कपडोई इत्यादि उपलब्ध कराई जाय ।

परिषद के कार्यकलापों के संबंध VI / (18)/77 में टिप्पणो ।

परिषद के कार्यकलापों के संबंध में प्रस्तुत टिप्पणो का अवलोकन करते हुए परिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

(क) भविष्य में सम्पत्तियों का आवंटन नीलामी जिसमें आवास आयुक्त को उपस्थिति आवश्यक है, उप आवास आयुक्त स्वयं सचिव द्वारा सम्पन्न होगा और यदि अध्यक्ष तथा आवास आयुक्त चोहे तो वे भी आवंटन/नीलामी के समय परिषद का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

(ख) टिप्पणो के पैरा-4 में उल्लिखित सम्पत्तियों दोन माह के अन्दर तैयार हो जानी चाहिये और साथ ही साथ उनका मल्यांकन (वैल्यू) भी तैयार हो जानी चाहिये ताकि इन सम्पत्तियों का निस्तारण शीघ्र हो सके । सम्पत्तियों को तैयारी तथा उनको वैल्यू करने हेतु एक समय बद्ध कार्यक्रम बनाया जाय ताकि यह सन्निहित हो सके कि पहले की भाँति यह सम्पत्तियों के निस्तारण में देरी न हो ।

(ग) पैरा-5(क) में उल्लिखित योजनाओं के बारे में आपत्तियों को सन्तर्पित हेतु गार्डहलाउन्स 31-12-77 तक बनाकर सम्पन्न आपत्तियों को सन्तर्पित कर लो जाय और इस कार्य में शिथिलता न बरती जाय ।

(घ) पैरा-5(न) में उल्लिखित निम्नलिखित योजनाओं को धारा-31 के अन्तर्गत स्वीकृति का प्रस्ताव परिषद को अगली बैठक में रखा जाय और साथ ही साथ इन योजनाओं के प्राक्कलन बनाने को भी कार्यवाही शुरू करा दो जाय :-

(1) पठानपुरा योजना सं०-5, सहारनपुर ।

(2) राजपुर रोड, देहरादून ।

(3) हाथी वाला टोस्टेट, देहरादून ।

(4) कर्वेलो रोड योजना, देहरादून ।

(5) हाँडा हाउस (अपर) योजना, नैनीताल ।

(6) दोहरो घाट योजना, आजमगढ़ ।

(7) नई गज योजना, जौनपुर ।

(8) आगरा तथा मथुरा रोड पर योजना, अलोगढ़ ।

(इ) कृषिकेस योजना सं० 1 एवं 2 विस्तृत विवरण सहित परिषद को अगली बैठक में रखा जाय ।

(ज) बिरोलाबाद आगरा रोड पर योजना सं० 1 बिरोलाबाद को धारा-31 के अन्तर्गत स्वीकृति का प्रस्ताव परिषद को अगली बैठक तक तैयार हो जाना चाहिये ।

(क) पैरा-6 में उल्लिखित योजनाओं के संबंध में आवास सचिव सचिवालय स्तर पर शीघ्र बैठक बुलाकर अन्तिम निर्णय लेंगे ।

Handwritten signature

(ज) प्रत्येक ब्लॉक का नाम (भवन निर्माण एवं विकास का) 60 लाख रुपये से कम नहीं होना चाहिये। पिछले दो वर्षों में प्रत्येक ब्लॉक का जो नाम रखा है और उसके विचार जो कार्य हुआ है उसका विवरण वृत्तवार हर ब्लॉक के बारे में अलग अलग परिषद को अगले बैठक में रखा जाय।

(झ) कार्य प्रगति के विवरण का जो पैरा-7 के तालिका में उल्लिखित है उनके बारे में यह सूचना परिषद के पत्रों में रखी जाय कि जोन सो योजनाओं हटको द्वारा स्वीकृत है।

(म) पैरा-8 में जिन शहरों को परिषद के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित होने हेतु विज्ञापित (नोटिफाइड) हो गये हैं उनमें विकास और भवन निर्माण की प्रगति रिपोर्ट परिषद के समक्ष रखी जाय जो निम्नलिखित दो हिस्सों में हो :-

- (1) भूमि अध्याप्ति की प्रगति स्टैज्ड सहित।
- (2) भवन निर्माण हेतु सर्वे का विवरण और निर्माण के संबंध में की गयी कार्यवाही की प्रगति।

(ट) चूंकि विकास और भवन निर्माण का मुख्य सामान्य स्तर से अधिक है इस लिये यह प्रयास किया जाय कि जिन स्थानों पर नए भूमि उपलब्ध हो सकते हैं उनको पर कार्य किया जाय। इससे मकानों/प्लॉटों को क्रॉमों में कमो आयेगी और साथ ही साथ भवन निर्माण कार्यक्रमको impetus भी मिलेगा।

(ठ) तालिका 2 में दो गई सूचना के साथ निम्नलिखित विवरण होना चाहिये :-

- (1) विभिन्न वर्गों के निर्मित भवनों की संख्या।
- (2) उनको कास्टिंग हो गयी या नहीं।
- (3) उनका आवंटन हो गया या नहीं।

(ड) भूखण्डों/भवनों का आवंटन उनके विहित पूर्ण होने के तीन महीने के अन्दर हो जाना चाहिये।

11 मिश्र नगर लान्ड VI/(19)/77
दुकानों का निर्माण।

विस्तृत विचार विमर्श के उपान्त परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

- (क) दुकानों उसी समय बनाई जाय जब उनको डिमाण्ड उपलब्ध हो।
- (ख) निर्माण सस्ता हो ताकि उनका निस्तारण जल्दी हो सके।
- (ग) दुकानों का प्रोमिशन उनको लागत का 1/5 हो और उसे 6 वर्षों में तसल किया जाय।
- (घ) जहाँ पर यह दुकानें परिषद द्वारा निर्धारित मूल्य पर नहीं बिक पा रहे हैं वहाँ यदि बैंक इत्यादि इन दुकानों को किराये पर लेना चाहे तो उन्हें दे दिया जाय। आवास आयुक्त दुकानों का किराया निर्धारित करने हेतु अधिकृत किये गये।

106 एण्ड सीट योजना VI/(20)/77
विकास कार्यों के प्राक्कलन

परिषद ने सर्वसम्मति से विचार विमर्श के पश्चात् प्राक्कलन को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित निर्देश दिये :-

- (क) इस योजना में जो 300 एकड़ भूमि इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित है उसे उद्योग विभाग स्वयं मुख्य मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से बात चोत करके आवासोप्य क्षेत्र में बदलवाने का प्रयत्न किया जाय। औद्योगिक क्षेत्र के विकास की प्रगति अभी तक बहुत धीमी रही है और परिषद द्वारा जो मकानों इस भूमि को दिया गया है उसका कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। अतः यह और आवश्यक है कि इसे आवासोप्य क्षेत्र घोषित करा दिया जाय।

Dawal

2 3 4

(ख) चूंकि परिषद द्वारा निर्मित मकानों के मूल्य ज़ोदा होने के बाद में बहुत आलोचना होने लगी है, अतः आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया कि वे जहाँ उचित समझे उसी पर परिषद अधिकारियों द्वारा बनाये गये प्राकल्पनों (विस्तृत अथवा प्रारम्भिक) तथा निर्माण की कालिंटों को अन्य स्केन्सो द्वारा चेक करा सकते हैं। आवास आयुक्त को ऐसे कार्य के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु भी अधिकृत किया गया।

(ग) सोवरेज के प्राविधान के संबंध में विस्तृत प्राकल्पन तैयार किया जाय ताकि सोवरेज निस्तारण की समस्या का भलो-भांति परोक्षण आवास आयुक्त द्वारा किया जा सके।

मिश्र नगर योजना VI/(21)/77
हस्तोली गाजोपुर
एन-3 महस्थान
नगर के विकास कार्य
की स्वीकृति।

परिषद ने सर्वसम्मति से विचार विमर्श के पश्चात् इस योजना के विकास कार्य के लिये ₹ 43.1-20 लाख के प्रारम्भिक प्राकल्पन को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।

योजना कार्य के विकास VI/(22)/77
प्राकल्पन की स्वीकृति।

परिषद ने सर्वसम्मति से विचार विमर्श के पश्चात् इस योजना के विकास कार्य हेतु ₹ 21.644 लाख के प्रारम्भिक प्राकल्पन को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिया कि चूंकि ज़ांसी में सोला कोसविधा नहीं है अतः सोवरेज के प्राविधान को समाप्त कर दिया जाय और उसके स्थान पर केवल सैफ्टिक बैंक का प्राविधान रखा जाय।

साहाय्य बाजार VI/(23)/77
एन-3 अलोगट्ट के
कार्यों के प्राकल्पन
की स्वीकृति।

परिषद ने सर्वसम्मति से इस योजना के विकास कार्य के प्राकल्पन की स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्नलिखित निर्देश दिये :-

- यह योजना अक्टूबर, 1978 तक पूर्ण हो जाय।
- ऊपरी मंजिल ऐसी हो कि आवश्यकतानुसार उसका उपयोग दुकानों के रूप में हो सके।
- डिज़ाइन में हर मकान में कुहा इकट्ठा करने के स्थान का प्राविधान रखा जाय।

साहाय्य-2 प्रथम VI/(24)/77
पूर्व निर्मित
आर 6
का निर्माण।

इस योजना के प्रारम्भिक प्राकल्पन की स्वीकृति प्रदान करते हुये परिषद ने निम्नलिखित निर्देश दिये कि भविष्य में आवास कालोनी में आफिस काम्प्लेक्स का प्राविधान रखा जाय।
(क) आफिस काम्प्लेक्स समान रूप से तीन मंजिलों में हो।

(ख) आफिस काम्प्लेक्स का निर्माण वहीं किया जाय जहाँ उसको डिमाण्ड हो।

भूमि विकास VI/(25)/77
जना
अन्तर्गत स्थिति
के देवी की भूमि

परिषद ने सर्वसम्मति से विचार विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया कि शोमती लक्ष्मी देवी की भूमि जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग गज है, को अर्जन से मुक्त कर दिया जाय किन्तु उनसे वर्तमान दरों पर विकास उद्यम एक माह के अन्दर जमा करा लिया जाय।

हस्तोली गाजोपुर V V/(26)/77
एन-3 अलोगट्ट ग्राम
प्लान नं. 614
द्वारा शिव चवतारा
नगरी भूमि को अर्जन
की स्वीकृति।

परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस मामले में आवास आयुक्त अपने विवेकानुसार स्थल निरोक्षण तथा अन्य आवश्यक जर्नीपरान्त अन्तिम निर्णय लेंगे और लिये गये निर्णय से परिषद को अवगत करा देंगे।

[Handwritten Signature]

2

3

4

लोपुर भूमि विकास
योजना के अन्तर्गत अर्ध-
पक्वों के खामियों से
व्यय लेने का मामला

VI / (27) / 77

परिषद ने यह निर्णय लिया कि वर्तमान स्थिति
और कतिपय कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए
विकास व्यय लेने हेतु धारा 28 को विज्ञापित
जारी की जाय ।

टपो ग्रामिहेन्द फण्ड
1973 के गेडल सेकेड
न ।

VI / (28) / 77


परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विनार विमर्श के
परिणत यह निर्णय लिया गया कि पहला अग्रिम
उप आवास आयुक्त सर्व सचिव द्वारा स्वीकार
किया जायेगा तथा दूसरा और इसके बाद के
अग्रिम को स्वीकृति आवास आयुक्त द्वारा ही दी
जायेगी ।

सर्व विकास परिषद VI / (29) / 77
कोऑर्डिनेटिंग एवं
परिक्षण के कार्यों के
अभियन्ता के
सूजन किया जाता ।

VI / (29) / 77

परिषद ने विनार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति
से यह निर्णय लिया कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन
सर्व कार्य निरोक्षण हेतु ₹ 1400-1800 के
वेतन क्रम में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटिंग एवं सर्व
सकामिनार का एक पद तात्कालिक प्रभाव से
दिसम्बर 28-2-78 तक सृजित का दिया जाय
और अभी इस पद के साथ केवल एक स्टोनो का
पद सृजित किया जाय । अन्य स्टाफ के सूजन का
प्रस्ताव पूर्ण भविष्य सहित परिषद को अगली
बैठक में रखा जाय ।

पुष्टि की गई


4/2/78
अध्यक्ष
4.2.78